न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौथकाबरवाड़ा

मु0नं0ः–25 / 2023 तारीख रजू:–04.10.2023

जी.सी.एम.एस. नं0ः– 2023 / 67

पीठासीन अधिकारी :–दामोदर सिंह (आर.ए.एस.)

ललिता देवी पुत्री बदरी लाल पत्नी सीताराम जाति ब्राह्मण हाल निवासी लालजी का मन्दिर व्यासों का मोहल्ला, सांगानेर जिला जयपुर।

–प्रार्थी

बनाम

सरकार जरिए तहसीलदार, चौथ का बरवाडा, जिला सवाईमाधोपुर।

अप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा

वकील प्रार्थीः–श्री अब्दुल वहाब, एडवोकेट

वकील अप्रार्थीः–पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांकः– 02.05.2025

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0 एक्ट

–: निर्णय :–

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थिया की कब्जे काश्त काश्त व खातेदारी की भूमि खसरा नं. 5706 / 1071 रकबा 0.93 है. खसरा नं. 5707 / 1071 रकबा 0.07 है. ग्राम शिवाड पटवार हल्का शिवाड बी तहसील चौथ का बरवाडा में स्थित है, जिस पर प्रार्थिया काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। प्रार्थिया की उक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि पर पास पड़ोस के व्यक्ति प्रार्थिया की अनुपस्थिति का नाजायज फायदा उठाकर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। तथा प्रार्थिया की फसल को जानवर नुकसान करते रहते हैं इसलिए प्रार्थिया अपनी उक्त भूमि पर पत्थरगढी करवाकर तार फेंसिंग करवाना चाहती है। अतः प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थिया की कब्जे काश्त व खातेदारी भूमि खसरा नं. 5706 / 1071 रकबा 0.93 है0 खसरा नं. 5707 / 1071 रकबा 0.07 है0 ग्राम शिवाड पटवार हल्का शिवाड बी तहसील चौथ का बरवाडा की पत्थरगढ़ी की जावे।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गई।

3. तहसीलदार चौथ का बरवाडा ने अपने पत्रांक भू0अ0 / 202[illegible] दिनांक 04.03. 2025 द्वारा रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश [illegible] खसरा नम्बर 5706 / 1071 रकबा 0.93 है0 व खसरा नम्बर 5707 / 1071 रकबा 0.07 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1 है0 राजस्व रिकार्ड में ललिता देवी पुत्री बदरी सीताराम जाति ब्राह्मण के नाम दर्ज रिकार्ड है। खसरा नम्बर 5706 / 107[illegible] एवं 5707 / 1071 पर खातेदार का कब्जा काश्त नहीं है। उक्त खसरा नम्बरान पर दीगर व्यक्तियों का कब्जा काश्त है, जिनके द्वारा मौक पर सरसों की फसल काश्त कर रखी है।

4. बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.05.08 11:07:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)

5. हमने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट के अनुसार विवादित आराजी खसरा नंबर 5706/1071 एवं खसरा नंबर 5707/1071 पर प्रार्थिया का कब्जा न होकर अन्य दीगर व्यक्तियों का कब्जा है।

6. राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128 निम्नानुसार है–

"**सीमा विवाद**–सीमा संबंधी समस्त विवाद भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किये जायेंगे।"

उपरोक्तानुसार धारा 128 के तहत सीमा संबंधी विवादों का निस्तारण ही अपेक्षित है, कब्जे संबंधी विवादों का नहीं। ऐसी स्थिति में विवादित ग्राम शिवाड़, तहसीलह चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर स्थित विवादित आराजी खसरा नंबर 5706/1071 एवं खसरा नंबर 5707/1071 पर प्रार्थिया का कब्जा नहीं होने के कारण पत्थरगढी करवाया जाना उचित नहीं है।

–:आदेश:–

प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 02.05.2025 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.05.08 11:07:27 IST
Reason: SelfAttested